भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1141

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

प्रवासी और संगठित श्रमिकों/ कामगारों का डेटाबेस

1141. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री सय्यद ईमत्याज जलील:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
डॉ. अमर सिंहः
श्री एंटो एन्टोनीः
श्री टी. एन. प्रथापनः
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः
श्री एस. आर. पार्थिबनः
श्री एम. सेल्वराजः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने प्रवासी और असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो जून 2021 की प्रारंभिक समय-सीमा तक डेटाबेस के पूरा नहीं होने/ करने के क्या कारण है और इस डेटाबेस को लागू करने की संशोधित अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या यह डेटाबेस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार द्वारा उक्त कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस वर्ष जुलाई तक इस कार्य को पूरा कर ले और साथ ही उक्त तिथि तक एक राष्ट्र एक कार्ड योजना को भी लागू करे ताकि ऐसे कामगारों को देश में कहीं से भी राशन ले सकें;

(ड़) यदि हां, तो सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना हैं; और

(च) क्या सरकार को नियोजकों और कर्मचारियों से आधार से जोडने के कारण ईपीएफओ से ऑनलाइन लेन-देन नहीं कर पाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगारों, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों, फेरीवालों, घरेलू कामगारों, कृषि कामगारों, प्रवासी कामगारों तथा ऐसे ही असंगठित कामगारों के अन्य उप समूहों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए आधार से जुडे असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यु) हेतु विस्तृत राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु एक पंजीकरण मोड्यूल को विकसित करने की प्रकिया में है। वर्तमान में, पूर्वाभ्यास और सुरक्षा लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया कार्यान्वयनाधीन है। राज्य सरकारों द्वारा असंगठित कामगारों को संघटित करके पोर्टल पर डेटा उपलब्ध कराना अपेक्षित है। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र में स्वयं पंजीकरण के लिए उपलब्ध होगा। सामान्य सेवा केन्द्र अपने 4 लाख से अधिक केन्द्रों और डाक विभाग के चयनित डाक कार्यालयों के राष्ट्र-व्यापी नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण केन्द्रों के रूप में कार्य करेगा जहां कामगार जाकर अपना पंजीकरण नि:शुल्क करा सकते हैं।

केंद्र सरकार असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को छोडकर देशभर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहले ही कार्यान्वित कर चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों को 31 जुलाई, 2021 तक इसे कार्यान्वित करने के लिए निदेश दिया गया है।

(च): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिनांक 01.06.2021 से सभी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों के लिए इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) को भरने हेतु आधार के साथ जोडने को अनिवार्य बना दिया गया है तथा ईपीएफ खाताधारकों के सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) को आधार प्रमाणित बनाने हेतु सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया था। हालांकि, समय अवधि के विस्तार हेतु विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। महामारी स्थिति और कोविड-19 के कारण नामांकन केंद्रों के बंद हो जाने को देखते हुए, सरकार ने आधार- प्रमाणित यूएएन के साथ अनिवार्य रूप से ईसीआर भरे जाने को दिनांक सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

*****